सं. 24/1/75-सीडीएन

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2000

<u>कार्यालय ज्ञापन-16</u>

विषयः वसीयत के आधार पर संपत्तियों का प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन – अनुपार्जित वृद्धि लगाना।

इस विषय पर सभी पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार निर्णय किया गया है:

(i) जहां मृत पट्टाधारक परिवार के निम्नलिखित सदस्य (सदस्यों) के पक्ष में कोई 'वसीयत' छोड़ता है, वहां पहले ही विहित अनिवार्य दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद कोई अनुपार्जित वृद्धि प्रभारित किए बिना ही संपत्ति प्रतिस्थापित की जाएगी।

"पति/पत्नी जैसा भी मामला हो, माता, पिता, बेटा, बेटी, पोता/पोती और बहु और उन मामलों में बहन और भाई भी जिनमें वसीयतकर्ता का अपना कोई बच्चा नहीं हो।"

(उपर्युक्त परिभाषा में बेटा/बेटी में अंगीकृत बेटा/अंगीकृत बेटी जैसा भी मामला हो, शामिल होंगे।)

(ii) जहां मृत पट्टाधारक उपर्युक्त (1) में यथापरिभाषित परिवार के सदस्यों से इतर व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत छोड़ता है, तो यथाविहित अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में उत्परिवर्तन करने के पहले पट्टा विलेख प्रावधानों के अनुसार अनुपार्जित वृद्धि आदेय होगी।

2. अनुपार्जित वृद्धि की रिकवरी के प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि निम्नानुसार तय की जाएगी:-

i) अंतिम पट्टाधारक की मृत्यु की तारीख यदि आवेदन मृत्यु की तारीख से छह माह के भीतर दिया जाता है। 'वसीयत' के लाभार्थी से स्वयं पट्टाधारक की

मृत्यु की तारीख पर या इसके तुरंत बाद उत्परिवर्तन के लिए आवेदन करने की आशा नहीं की जाती है। छह माह की अवधि इस प्रकार का आवेदन करने के लिए उचित समय है। 'वसीयत' के वैध उत्तराधिकारियों के अनापत्ति शपथ पत्रों/वसीयत संप्रमाण सहित आवेदन सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए।

ii) यदि आवेदन पट्टाधारक की मृत्यु की तारीख के 6 माह के भीतर दिया जाता है लेकिन वैध उत्तराधिकारियों का अनापत्ति शपथपत्र इसके साथ नहीं लगाया गया है और आवेदक ने उसके बाद 'वसीयत' संप्रमाण प्राप्त किया है क्योंकि वैध उत्तराधिकारियों ने अनापत्ति शपथपत्र प्राप्त करने में सहयोग नहीं किया, ऐसे मामलों में भी पट्टाधारक की मृत्यु की तारीख को निर्णायक तिथि माना जाना चाहिए बशर्ते कि वसीयत संप्रमाण इसके अनुदान के 3 माह के भीतर दिया जाता हो।

ii) यदि आवेदन पट्टाधारक की मृत्यु की तारीख के 6 माह के भीतर दिया जाता है, अनापत्ति शपथपत्र/संप्रमाण सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की तारीख को निर्णायक तारीख माना जाना चाहिए।

3. उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

4. यह वित्त प्रभाग के अनुमोदन से उनकी डायरी सं. 2172/एएस(एफ)/2के, दिनांक 18.10.2000 द्वारा जारी किया जाता है।

(डॉ. राजेश कुमार)
भूमि और विकास अधिकारी

सेवा में

भूमि और विकास विभाग के सभी शाखा अधिकारी/अधीक्षक/अनुभाग

प्रति सूचनार्थः

संयुक्त सचिव (डीएल) के निजी सचिव, एलएंडडीओ के निजी सचिव/पीआरओ (एलएंडडीओ)/वित्त प्रभाग